



CENTRAL SILK BOARD

Ministry of Textiles [Govt. of India]

No.CSB-30(1)/2016 – 17/Accts.

Date : 02-03-2017

To:

All the CSB UNITS

Sir,

Sub : Procedure for remittance of Unspent Grants-in-Aid
for the financial year 2016 - 17 - Reg.

I am directed to invite a reference to the subject cited above and to state that the requirement of Grants at Main Institute & its attached units for the month of **March 2017** is required to be assessed by the Drawing & Disbursing Officers very carefully & diligently and surplus amount, if any, shall be remitted to the **Central Office** on or before **20th March** by **RTGS / CORE BANKING SYSTEM etc, in favour of the Member Secretary, Central Silk Board, Bangalore** so that the same could be utilized at Central Office or at any needy units of CSB. It is also requested to inform the Parent Unit / Central Office over phone about the remittance of the Unspent Grants-in-Aid for the year **2016 – 17 immediately**. In this connection, it may be noted that the **Central Office Current Account Number** with the **Central Bank of India, CSB Branch**, is **1123960011** and the **IFSC Number** of **CBI, CSB Branch** is **CBIN 0283975**.

It may be ensured that no amount of un-spent Grants-in-Aid is available under Non-Plan, Plan – General, Plan-Capital, NE – General, NE – Capital, CBT and Central Sector Scheme heads at the unit as on 31st March, 2017 in any case.

Further, it may also be ensured that the amount of **Miscellaneous Receipts etc.**, are drawn and remitted to Central Office separately as per the existing procedure.

The above points may strictly be complied with and the delegated / non-delegated units attached also be instructed accordingly for further compliance.

Yours faithfully,

[CA MANOHARAN. A]
JOINT DIRECTOR (FINANCE)



केन्द्रीय रेशम बोर्ड CENTRAL SILK BOARD
(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of Textiles - Govt. of India)
केरेबो कॉम्प्लेक्स, बी टी एम लेआऊट, मडिवाला
CSB Complex, BTM Layout, Madiwala
बैंगलूरु Bangalore – 560068

सं. केरेबो-30(1)/2016-17/लेखा

दिनांक 02.03.2017

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुपगत सहायता अनुदान के प्रेषण संबंधी क्रियाविधि के संबंध में।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के संदर्भ में यह बताने का निदेश हुआ है कि माह मार्च 2017 के लिए मुख्य संस्थान एवं इसके अधीनस्थ एककों के लिए अपेक्षित अनुदान का मूल्यांकन आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा सावधानी से किया जाना अपेक्षित है और अधिशेष राशि कोई हो, तो इसे सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बैंगलूरु के पक्ष में आरटीजीएस/कोर बैंकिंग पद्धति आदि द्वारा 20 मार्च को या इससे पहले केन्द्रीय कार्यालय को प्रेषित किया जाएँ ताकि इसे केन्द्रीय कार्यालय अथवा केरेबो के किसी आवश्यक इकाई में इसका उपयोग किया जा सके। यह भी अनुरोध है कि वर्ष 2016-17 के लिए अनुपगत सहायता अनुदान के प्रेषण संबंधी विवरण पैतृक इकाई/केन्द्रीय कार्यालय को दूरभाष पर शीघ्र सूचित करें। इस संबंध में यह नोट किया जाए कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केरेबो शाखा में केन्द्रीय कार्यालय की चालू खाता संख्या 1123960011 और आईएफएससी कोड सीबीआईएन 0283975 है।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि 31 मार्च, 2017 को यथाविद्यमान इकाई में योजनेतर, योजना-सामान्य, योजना-पूँजी, एनई-सामान्य, एनई-पूँजी, सीबीटी तथा केन्द्र क्षेत्र योजना शीर्ष में कोई अनुपगत सहायता अनुदान नहीं है।

आगे, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आहरित विविध प्राप्तियाँ आदि संबंधी राशि केन्द्रीय कार्यालय को विद्यमान क्रियाविधियों के अनुसार अलग से प्रेषित किया जाता है।

उपरोक्त बिन्दुओं का सख्त पालन करें और आगे अनुपालन के लिए तदनुसार संबद्ध प्रत्यायोजित/गैर-प्रत्यायोजित इकाई को भी अनुदेश दें।

भवदीय

ह

(सीए. मनोहरन ए)
संयुक्त निदेशक (वित्त)